



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-9

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 254905 दिनांक 25/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kanta Yadav W/o Mr. Dinesh Anand	श्री गणेशी लाल यादव पुत्र श्री अमर सिंह यादव	267	600.00 SQ. METER	JDA	ROHINI NAGAR -I Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्रीमती कान्ता यादव पत्नी श्री दिनेश आनन्द के द्वारा जविप्रा की योजना रोहिणी नगर-प्रथम के भूखण्ड संख्या सी-38 क्षेत्रफल 600 व.मी का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 29.01.2013 को श्री गणेशी लाल यादव पुत्र श्री अमर सिंह यादव के पक्ष में जारी की गयी है। आर्थिक एक सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.03.2024 को श्री गणेशी लाल यादव का निधन दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								06.03.2024 को हो चुका है। इनके वारिसान श्रीमती संतरा यादव (पत्नि), तीन पुत्रियां श्रीमती सुरेश कुमारी यादव, श्रीमती राजेश यादव, श्रीमती कान्ता यादव एवं नरेन्द्र सिंह यादव (पुत्र) है। श्रीमती सुरेश कुमारी यादव, श्रीमती राजेश यादव, श्रीमती कान्ता यादव एवं नरेन्द्र सिंह यादव द्वारा श्रीमती संतरा यादव पत्नि स्व. श्री गणेशी लाल यादव के पक्ष में हक त्याग किया गया है। तत्पश्चात श्रीमती संतरा यादव द्वारा रजि. उपहारनामा दिनांक 12.09.2025 द्वारा आवेदिका श्रीमती कान्ता यादव पत्नी श्री दिनेश आनन्द को उक्त भूखण्ड उपहार किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Kanta Yadav W/o Mr. Dinesh Anand को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |